



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 7-2021/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 14, 2021 (PAUSA 24, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

तथा

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 जनवरी, 2021

संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)/करनाल (असन्धि)/2021/156.— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), की धारा 203 ग की उप-धारा (7) तथा पंजाब अनुसूचित सङ्क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग तथा नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/करनाल (असन्धि)/2020/1522, दिनांक 10 नवम्बर, 2020 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 7 अगस्त, 2019 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग तथा नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/ए.एस.डी./ (के.एन.एल.)/एफ.डी.पी./2019/1579, दिनांक 7 अगस्त, 2019 द्वारा अधिसूचित अन्तिम विकास योजना, 2031 ए0डी0 असन्धि में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग तथा नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/ए.एस.डी./ (के.एन.एल.)/एफ.डी.पी./2019/1579, दिनांक 7 अगस्त, 2019 में,—

1. ‘ड्राईंग’ शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“2. अन्तिम विकास योजना असन्धि 2031 ए0डी0 ड्राईंग संख्या डी.टी.पी.(के)1588/2020, दिनांक 14 जुलाई, 2020।”
2. अनुबंध-‘क’ में,
 - (i) ‘IX मुख्य भूमि उपयोग प्रस्तावनाएं’ शीर्ष में, विद्यमान तालिका के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

क्रम संख्या	भूमि उपयोग	नियंत्रित क्षेत्र के भीतर का प्रस्तावित क्षेत्र (हैक्टेयर में)	नगरपालिका समिति सीमा के भीतर प्रस्तावित क्षेत्र (हैक्टेयर में)	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	कुल क्षेत्र की प्रतिशतता
1.	रिहायशी	167.16	298	465.16	39.48
2.	वाणिज्यक	7	107.15	114.15	9.69
3.	औद्योगिक	82	35	117	9.93
4.	परिवहन तथा संचार	119	63.69	182.69	15.51
5.	जन—उपयोगितायें	25	33	58	4.93
6.	सार्वजनिक तथा अर्ध—सार्वजनिक	40	30	70	5.94
7.	खुले स्थान (हरित पट्टी सहित)	76	95	171	14.52
	कुल	516.16	661.84	1178	100";

- (ii) 'भूमि उपयोगों का विवरण' शीर्ष में,
- (क) क्रम संख्या 1 में, 'रिहायशी' उप—शीर्ष में, तृतीय पंक्ति में, '468' अंकों के स्थान पर '465.16' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) क्रम संख्या 4 में,
- (i) 'परिवहन तथा संचार' उप—शीर्ष में, प्रथम पैरा के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्—
"बढ़ते यातायात को ध्यान में रखते हुए, यदि आवश्यक हो, सेक्टर 2 में विद्यमान ड्रेन के ऊपर सड़क निर्मित की जा सकती है।"
- (ii) 'परिवहन तथा संचार' उप—शीर्ष में, तृतीय पैरा में '184' अंकों के स्थान पर '182.69' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
3. अनुबंध—ख में,
- (i) 'अंचल विनियम' शीर्ष में, "ड्राइंग संख्या: डी.टी.पी.(के)1569 / 2019, दिनांक 25 फरवरी, 2019" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों तथा चिह्नों के स्थान पर, 'ड्राइंग संख्या डी.टी.पी.(के)1588 / 2020, दिनांक 14 जुलाई, 2020' शब्द, अंक, कोष्ठक तथा चिह्न निर्मित किए जाएंगे;
- (ii) क्रम संख्या II में, 'परिभाषाएं' उप—शीर्ष में, खण्ड (ग) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्—
'(ग)' "ड्राइंग" से अभिप्राय है, ड्राइंग संख्या डी.टी.पी.(के)1588 / 2020, दिनांक 14 जुलाई, 2020'.

एस० एन० रॉय,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

अपूर्व कुमार सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
AND
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 14th January, 2021

No. C.C.P.(N.C.R.)/Karnal (Assandh)/2021/156.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (7) of Section 203C of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), Sub-section (7) of Section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department and Town and Country Planning Department, notification No. CCP(NCR)/Karnal(Assandh)/2020/1522, dated the 10th November, 2020, the Governor of Haryana hereby publishes the following amendment in the Final Development Plan 2031 AD, Assandh, notified

vide Haryana Government, Urban Local Bodies Department and Town and Country Planning Department, notification No. CCP(NCR)/ASD/(KNL)/FDP/2019/1579, dated the 7th August, 2019, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department and Town and Country Planning Department, notification No. CCP(NCR)/ASD/(KNL)/FDP/2019/1579, dated the 7th August, 2019,-

1. Under the heading “Drawings”, for serial number 2 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-
“2. Final Development Plan Assandh 2031 AD bearing Drawing No. DTP(K) 1588/2020, dated the 14th July, 2020.”
2. In Annexure -A,-
 - (i) under heading ‘IX Major Land use Proposals’, for the existing table, the following table shall be substituted, namely:-

“Serial Number	Land Use	Proposed Area within controlled area (in hectares)	Proposed Area within M.C. Limit (in hectares)	Total area (in hectares)	Percentage of total area
1	Residential	167.16	298	465.16	39.48
2	Commercial	7	107.15	114.15	9.69
3	Industrial	82	35	117	9.93
4	Transport & Communication	119	63.69	182.69	15.51
5	Public Utilities	25	33	58	4.93
6	Public & Semi Public	40	30	70	5.94
7	Open Spaces (Including green belt)	76	95	171	14.52
Total		516.16	661.84	1178	100”;

- (ii) under heading ‘DISCRIPTION OF LAND USES’,-
 - (a) in serial number 1, in sub-head ‘Residential’, in the 3rd line, for the figure “468”, the figure “465.16” shall be substituted;
 - (b) in serial number 4, in sub-head ‘Transport and Communication’,-
 - (i) in the 1st para, the following words, figure and signs shall be added at the end, namely:-
“In order to cater to the increased traffic, if required, the road can be constructed over the drain existing in sector- 2.”;
 - (ii) in the 3rd para, for the figure ‘184’, the figure ‘182.69’shall be substituted.
3. In Annexure-B, under the heading ‘Zoning Regulations’,-
 - (i) for the words, figures, brackets and signs “DTP(K) 1569/2019, dated the 25th February, 2019”, the following words, figures, brackets and signs “DTP(K)1588/2020, dated the 14th July, 2020” shall be substituted;
 - (ii) in serial number II, under sub-head ‘Definitions’, for clause (c) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-
‘(c) “Drawing” means drawing no. DTP(K)1588/2020, dated the 14th July, 2020’.

S. N. ROY,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

A. K. SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.

